

पत्रांक :- 5/4047 (सड़क निर्माण) आ0 07/2015-16-.....58 (5)/रा0.

फैक्स /  
ई-मेल ✓

**बिहार सरकार**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**

प्रेषक,

शशि भूषण तिवारी,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

समाहर्ता,  
मुजफ्फरपुर/अररिया/पूर्णियाँ/समस्तीपुर/जहानाबाद/प0 चम्पारण एवं शिवहर।

विषय :-

मुख्य शीर्ष 4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष -00- लघु शीर्ष -050- भूमि उप शीर्ष-0104-सड़क निर्माण हेतु भूमि का क्रय (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) माँग संख्या-40 विपत्र कोड-पी04047000500104 के अन्तर्गत 5302-भू-अर्जन हेतु वित्तीय वर्ष-2015-16 में 4,27,01,000/- (चार करोड़ सताईस लाख एक हजार) रुपये मात्र का आवंटन (स्कीम कोड-REV-5539)।

महाशय,

उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञाप संख्या-903 (8)/रा0 दिनांक-21.07.2015 एवं पीत पत्र सं0-80(8) दिनांक-18.01.2016 द्वारा आवंटन हेतु प्रस्तावित राशि के आलोक में सम्पर्क सड़क योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित जिलों को उनके नाम के सामने अंकित राशि कुल 4,27,01,000/- (चार करोड़ सताईस लाख एक हजार) रुपये मात्र आवंटित की जाती है :-

क्र0	जिला	वर्तमान वर्ष में पूर्व में आवंटित राशि	संबंधित शाखा द्वारा आवंटन हेतु प्रस्तावित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि (रूपये में)	कुल आवंटित राशि (रूपये में)
1	2	3	4	5	6
1	मुजफ्फरपुर	शून्य	24549000/-	24549000/-	24549000/-
2	अररिया	शून्य	1970000/-	1970000/-	1970000/-
3	पूर्णियाँ	शून्य	1188000/-	1188000/-	1188000/-
4	समस्तीपुर	शून्य	6806000/-	6806000/-	6806000/-
5	जहानाबाद	शून्य	5000000/-	5000000/-	5000000/-
6	प0 चम्पारण	शून्य	1350000/-	1350000/-	1350000/-
7	शिवहर	शून्य	1838000/-	1838000/-	1838000/-
कुल					42701000/-

(चार करोड़ सताईस लाख एक हजार) रुपये मात्र

- राशि की निकासी उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में की जायेगी तथा निकासी की गई राशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य हेतु ही किया जाएगा।
- राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 वि0 (2) दिनांक-17.04.1998 एवं पत्रांक-396/वि0 दिनांक-24.04.2015 के आलोक में किया जा रहा है।
- वर्ष 2014-15 अथवा पूर्व के लंबित दायित्वों का भुगतान वित्तीय वर्ष 2015-16 के वजटीय उपबंध/आवंटन के संबंधित शीर्ष/विषयशीर्ष में प्रावधानित राशि से किया जा सकता है।

क०प०उ०

5. राशि की निकासी के समय विपत्र पर मांग संख्या, इकाई का कोड एवं विपत्र कोड निश्चित रूप से अंकित किया जाय।
6. राशि की निकासी के बाद व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि के साथ अगले माह के 7वीं तारीख तक निश्चित रूप से भेज दी जाय साथ ही राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी भेजना सुनिश्चित किया जाय।
7. यह आवंटन समाहर्ता, मुजफ्फरपुर की अधियाचना संख्या-3263 दिनांक-26.12.2015, समाहर्ता, अररिया की अधियाचना संख्या-867 दिनांक-14.05.2015, समाहर्ता, पूर्णियाँ की अधियाचना संख्या-284 दिनांक-12.06.2015, समाहर्ता, समस्तीपुर की अधियाचना संख्या-194, 195, 196 दिनांक-03.07.2015, एवं अधियाचना संख्या-201 दिनांक-09.07.2015, समाहर्ता, जहानाबाद की अधियाचना संख्या-265 दिनांक-24.06.2015, समाहर्ता, प0 चम्पारण की अधियाचना संख्या-3234 दिनांक-19.12.2015 एवं समाहर्ता, शिवहर की अधियाचना संख्या-672 दिनांक-05.12.2015 के क्रम में दिया जा रहा है।
8. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,  
26/11/16  
(शशि भूषण तिवारी),  
सरकार के विशेष सचिव।

22-01-16